



राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

क्रमांक :- एफ. 261/ले.वि.अ/2015/160

दिनांक : 29-6-2015

परिपत्र

विषय : स्वावित्त पोषक योजनाओं हेतु प्राप्त राशी से भुगतान के संबंध में।

विश्वविद्यालय के अधीनस्थ महाविद्यालयों/विभागों/ईकाइयों से स्वावित्त पोषक योजनाओं के तहत किये जाने वाले भुगतानों के लिये, आंतरिक जांच में वित्तीय अनियमितताओं के आक्षेप लिये जा रहे हैं, तथा उनके निस्तारण के लिये विभागाध्यक्ष प्राचार्यों/निदेशकों द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अतः स्वावित्त पोषक योजना (SFS) के अन्तर्गत प्राप्त राशी को व्यय करते समय सभी तरह के भुगतान हेतु क्रय/उपापन, आपूर्ति, अनुबन्ध आदि राज्य सरकार के राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तिय एव लेखा नियमों के अन्तर्गत जारी तथा वि.वि. के नियमों/निर्देशों/परिपत्रों/आदेशों/अधिसूचनाओं की अक्षरशःपालना सुनिश्चित की जावे, अन्यथा संबंधित विभागाध्यक्ष/प्राचार्यों/निर्देशकों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

भवदीय

वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :- एफ. 261/ले.वि.अ/2015/161-210

दिनांक : 29-6-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विभागाध्यक्ष, निदेशक/प्रभारी अधिकारी, (SFS UNITS) रा.वि.वि.जयपुर।
2. प्राचार्य, महाराजा/महारानी/राजस्थान/कॉमर्स/विधि महाविद्यालय, रा.वि.वि.जयपुर।
3. वित्तीय नियंत्रक व वित्तीय सलाहकार/परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि.जयपुर।
4. निजी सचिव कुलपति/कुलसचिव/उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभागाधिकारी, रा.वि.वि.जयपुर।
5. विश्वविद्यालय अभियन्ता, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. समन्वयक, महाविद्यालय विकास परिषद्, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. प्रभारी, राजस्थान विश्वविद्यालय दूरसंचार केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

उप-कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त)